रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)—72.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 171] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 4, 1981/भाद्र 13, 1903
No. 171] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 4, 1981/BHADRA 13, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1981

संकल्प

सं. 46/2/81-न्याय.—इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाने की मांग समय-समय पर की जाती रही है । विभिन्न प्राधिकारियों ने इस विषय में अपनी भिन्न-भिन्न राय दी है । बेंच के लिए विभिन्न स्थानों की भी मांग की गई है । उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने तारीख 14 मार्च, 1981 के पत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के वास्ते, जिसमें गढ़वाल, मेरठ, आगरा, मुरादाबाद, बरेली और कुमाऊं कमीशनरियों के अन्तर्गत आने वाले जिले शामिल हैं, एक बेंच की स्थापना की सिफारिश की है । उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वे उनके द्वारा प्रस्तावित बेंच के स्थान के बारे में निर्णय लें । उन्होंने भारत सरकार से आगे यह अनुरोध किया है कि इस विषय के बारे में विधायन पेश किया जाए और सभी पहलुओं से मामले की जांच की जाए तथा आवश्यक कार्रवाई की जाए ।

2. चूंकि सभी दृष्टिकोणों से मामले की विस्तृत रूप से जांच किए जाने की जरूरत है, इसलिए, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के लिए बेंच के गठन की मांग से उत्पन्न होने वाले सभी पहलुओं तथा राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिश के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए भारत सरकार ने तीन सदस्यीय आयोग नियुक्त करने का संकल्प किया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—

1. श्री जसवंत सिंह, अध्यक्ष
सेवानिवृत्त न्यायाधीश,
भारत का उच्चतम न्यायालय ।

2. श्री प्रोद्दूर श्रीरामुलु, सदस्य
सेवा निवृत्त न्यायाधीश,
आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ।

3. श्री करम सिंह, सदस्य
सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासन सेवा
अधिकारी ।

3. आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा । आयोग अपनी कार्यविधि स्वयं निर्धारित करेगा और अपनी रिपोर्ट अपनी नियुक्ति की तारीख के छः महीने के अन्दर प्रस्तुत करेगा ।

श्रीवल्लभ शरण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Justice)

New Delhi, the 4th September, 1981

RESOLUTION

No. 46/2/81-Jus.—Demands have been made from time to time for the establishment of a Bench of the Allahabad High Court in Western Uttarpradesh. Various authorities have expressed different views on the subject. Different locations for

the Bench have also been demanded. The Government of Uttar Pradesh in their letter dated 14th March, 1981, have recommended the establishment of a Bench to cater to the needs of the western districts of Uttar Pradesh comprised in the Commissioner's Divisions of Garhwal, Meerut, Agra, Moradabad, Bareilly and Kumaon. They have requested the Government of India to decide the location of the Bench proposed by them. They have further requested the Govt. of India to bring forward legislation on the subject and to look into the matter from all aspects and take necessary action.

2. As the matter needs detailed examination from all angles, the Government of India have resolved to appoint a three-member Commission consisting of :—

1. Shri Jaswant Singh, Retired Judge, Supreme Court of India—Chairman.

2. Shri Produtoor Sriramulu retired Judge, Andhra Pradesh High Court—Member.

3. Shri Karan Singh, retired officer of the Indian Administrative Service—Member.

to consider all aspects arising out of the demand for the constitution of the Bench for the western districts of Uttar Pradesh and the various aspects of the recommendation made by the State Government.

3. The Commission will have its headquarters at New Delhi. The Commission will devise its own procedures and will submit its report within six months of the date of its appointment.

S. V. SHARAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981